फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी
सीताराम

बनाम

अप्रार्थीगण
गीतादेवी वगैरह

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

संख्या : 100 / 2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.06.2025	वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिनांक 21.05.2025 को प्रार्थी / अप्रार्थी पक्ष अधिवक्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अभिकथन किया कि ग्राम–जवानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां के खसरा नं. 464, 465, 466, 89, 90 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, बैचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 14.08.2023 से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने तक पाबंद किया गया था। उक्त खसरान की भूमि पर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.06.2024 तक प्रभावी रही तथा दिनांक 18.06.2024 को उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी स्वीकार करते हुये अपास्त कर दी गई। उक्त प्रकरण में मौका स्थिति रिपोर्ट तहसीलदार नावां से जरिये पत्रांक : भू.अ. / 2024 / 2263 दिनांक 13.11.2024 को प्राप्त हो चुकी है। उक्त मौका रिपोर्ट में विवादित खसरा नं. 466 कुआं है, खसरा नं. 465 में विधुत डीपी (ट्रान्सफार्मर) लगा हुआ है तथा मौके पर खाली है, एक कच्चा टीनशेड बना है, उक्त खसरे में छोटे–बडे कुल ग्यारह देशी बबूल के पेड़ है एवं दो खेजड़ी के पेड़ है दो नीम के पेड़ है, एक सेनणा का पेड़ है। उक्त खसरा मे पूर्वोतर कोने में रहवासी मकान श्योदान / नुन्दाराम गुर्जर का कुछ हिस्सा आता है, खसरा नं. 464 में एक कच्ची छान / छप्पर एक पानी का हौद बना हुआ है। उक्त खसरा 464 भी खाली है, नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए, खसरा नं. 464 की कुछ भूमि खसरा नं. 461 में सम्मलित है। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू बी से सी दो भागो में विभाजित किया हुआ है जिसमें चारो तरफ कच्ची डोल व कांटे लगाकर बाड़ बनी हुई है। मौके पर खसरा नं. 464 की भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है केवल खसरा नं. 465 एवं 89, 90 वादी के कब्जे में है, जिसमें खरीफ की फसल की गई हुई थी जो कट चुकी है तथा मौके पर खाली है। उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि पर प्रार्थी पक्ष काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि वादी / प्रार्थी पक्ष का ही कब्जा साबित है। प्रार्थी अधिवक्ता के कथनानुसार प्रार्थी सीताराम, तेजाराम का गोदपुत्र है, जो सामाजिक तौर पर तेजाराम द्वारा जीवनकाल में गोद लिया था। प्रार्थी ने ही तेजाराम की मृत्यु वर्ष 2022 में हो जाने पर क्रियाक्रम विधि अनुसार किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा षड़यंत्र पूर्वक तेजाराम की मृत्यु होने पर उक्त विवादित भूमि का नामान्तरण अपने नाम करवा लिया तथा अप्रार्थी नं. 2 रूकमादेवी को उक्त भूमि का बैचान कर दिया, जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक अधिकार नहीं है। अतः उक्त विवादित भूमि का जब तक अन्तिम निस्तारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में नहीं हो जाता है तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का फेरबदल न हो, तथा खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण नही हो तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनी रहे इसलिए ताफैसला वाद उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। उपखण्ड अधिकारी नावां	

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस अभिकथन था कि सीताराम ब्रदी का पुत्र है तथा प्रकरण में तेजाराम का गोदपुत्र बताया है परन्तु प्रार्थी ने गोदपुत्र संबंधी कोई भी विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रार्थी का यह कथन कि वह तेजाराम का गोदपुत्र है संबंधी मिथ्या, झूठ है। इसी प्रकार मौका स्थिति की रिपोर्ट भी प्रार्थी पक्ष द्वारा राजस्व कर्मियों से सांठगाठ कर झूठी रिपोर्ट बनवाई है। तेजाराम की पत्नी गीतादेवी द्वारा उक्त भूमि का बैचान फौतगी नामान्तकरण में नाम दर्ज होने के उपरान्त खातेदारी अधिकारों का प्रयोग करते हुये किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मिथ्या, झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो सह हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पक्ष को दिनांक 14.08.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक जारी की गई, जो दिनांक 18.06.2024 को अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिये जाने पर बाद सुनवाई प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 बावत् मौका कमिश्नर नियुक्त के संबंधी स्वीकार किया जाकर अपास्त किया गया। धारा 212 आरटीएक्ट के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है, जिनका निस्तारण 90 दिवस की अवधि में किया जाना होता है जबकि उक्त प्रकरण 18 माह से लम्बित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट में निर्णय/आदेश के लिए निहित बिन्दूओं के विश्लेषण के आधार पर तय किया जाना होता है। अतः इस प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दू निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते है।

बिन्दू संख्या 1 पृथम दृष्टयां मामला– उक्त बिन्दू के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का अभिकथन रहा है कि विवादित खसरान की भूमि प्रार्थी के गोदपिता की खातेदारी की रही है। स्व. तेजाराम ने प्रार्थी को उनके जीवनकाल में ही परिवारजन/समाज के प्रबुद्ध जनो की उपस्थिति में गोद लिया था। तेजाराम मृत्यु हो जाने पर सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम प्रार्थी द्वारा विहित किया गया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा फौतगी नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान तेजाराम के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण भरते समय जानबुझकर दर्ज नहीं कराया जाना प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष का हित प्रभावित है। इसलिए पृथक दृष्टयां मामला प्रार्थी पक्ष में प्रतीत होता है।

बिन्दू संख्या 2 सुविधा का संतुलन– उक्त बिन्दू के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी का अभिकथन रहा है कि विवादित खसरान की भूमि प्रार्थी के गोदपुत्र रहते हुये स्व. तेजाराम की भूमि पर काश्त की गई है तथा तेजाराम की सेवा चाकरी की है। इसलिए उक्त भूमि पर काश्त प्रार्थी पक्ष द्वारा की जाना एवं उक्त भूमि पर काश्त, ऋण, सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ/हानि का उपभोग भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 जो स्व. तेजाराम की पत्नी है दोनो पक्ष द्वारा वहन किया जाने से सुविधा का संतुलन का बिन्दू आंशिक रूप से प्रार्थी पक्ष एवं आंशिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रतीत होता है।

बिन्दू संख्या 3 अपूरणीय क्षति– प्रकरण में वर्णित विवादित खसरान की भूमि का अजनबी क्रेता को यदि बैचान, हस्तान्तरण, या कब्जा सुपुर्द की कार्यवाही अप्रार्थी पक्ष द्वारा की जाती है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1, 2 के बजाय प्रार्थी सीताराम जिसने स्व. तेजाराम के गोदपुत्र की हैसियत से तत्कालीन खातेदार तेजाराम की उनके जीवनकाल में देखभाल तथा मृत्यु के पश्चात उनका क्रियाक्रम के सभी कर्तव्य निर्वहन किये जाने स्वरूप अधिक होगी। इसलिए उक्त बिन्दू संख्या 3 अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त तीनों बिन्दू के विश्लेषण, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात् पुलिस थाना मारोठ में दर्ज एफ.आई.आर पर पुलिस थाना मारोठ द्वारा अनुसंशोधन के उपरान्त एफ.आर. की रिपोर्ट की प्रति के अवलोकन एवं प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष में साबित होते है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी पक्षकारान के मध्य में ग्राम जवानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां के विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 464, 465, 466, 89, 90 हैक्टेयर भूमि के बैचान, हस्तान्तरण व कब्जे को लेकर में विवाद बढ़ने की आशंका को मध्यनजर रखते हुये ग्राम जवानपुरा पटवार हल्का श्यामगढ़ तहसील नावां के विवादग्रस्त खसरा नं. 464, 465, 466, 89, 90 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने तथा उक्त विवादित खसरान की भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं किये जाने बाबत एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं किये के लिए मूल वाद का अन्तिम तौर पर निस्तारण होने तक प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों पक्षो को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां